प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 3443 / 2003</u>

इंतज़ामिया कमेटी, जामा मस्जिद (वक्फ) बिल्हा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

और

संबंधित दो रिट याचिकाएं

संख्या 3081/2003 एवं 4289/2004

<u>आदेश</u>

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश हेतु नियत तिथि : 30.07.2007

हस्ताक्षरित /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 3443/2003

याचिकाकर्ता :- इंतजामिया कमेटी, जामा मस्जिद (वक्फ) बिल्हा द्वारा फिरोज अहमद (एक सदस्य) उम्र लगभग 40 वर्ष पिता अब्दुल करीम, निवासी तालापारा, बिलासपुर, तह. एवं जिला. बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरदाता:- 1. छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा: कलेक्टर, बिलासपुर

2. कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)

3. पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर (छ.ग.)

4. श्री अब्दुल मन्ना खान उम्र 35 वर्ष पिता स्वर्गीय अब्दुल्ला खान, निवासी

ग्राम सरगांव, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

5. कुमारी राना परवीन, उम्र 37 वर्ष, पिता स्वर्गीय अब्दुल्ला खान, निवासी जून लाइन, संतोष भोजनालय के सामने, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्री राहुल कुमार बाजपेयी, आयु लगभग 44 वर्ष पिता रोहिणी कुमार बाजपेयी, रेजिडेंट ऑफ़ ईदगाह चौक, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका संख्या 3081/2003

याचिकाकर्ता :- अब्दुल हलीम खान, पिता स्वर्गीय अब्दुल हकीम खान, उम्र: 49 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 9, अकबर खान चॉल, मिशन अस्पताल के सामने, बिलासपुर, जिला: बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरदाता:- 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव (पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास), मंत्रालय, डी.के.एस.

भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. अब्दुल मन्नान खान, पिता अब्दुल्ला खान, उम्र: 35 वर्ष, निवासी ग्राम: सरगांव, तहसील: मुंगेली, जिला: बिलासपुर (छ.ग.)

3. कु. राना परवीन, पिता अब्दुल्ला खान, आयु लगभग: 37 वर्ष, व्यवसाय: शिक्षक, निवासी जूनी लाइन, संतोष भोजनालय के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

4. राहुल बाजपेयी, पिता श्री रोहिणी कुमार बाजपेयी, आयु लगभग: 44 वर्ष, निवास ईदगाह चौक, तह. एवं जिला: बिलासपुर (छ.ग.)

5. रफीक अहमद खान, पिता मसूद खान, आयु लगभग: 70 वर्ष

6. समीर अहमद खान, पिता रफीक अहमद खान, आयु लगभग 38 वर्ष निवास जुनी लाइन, बिलासपुर, वर्तमान निवास फ्लैट नो. 113, "उत्कर्ष निर्माण" मंगलवारी बाजार, सदर, नागपुर (महाराष्ट्र)

7. कलेक्टर, बिलासपुर जिला: बिलासपुर (छ.ग.)

8. उप-पंजीयक (पंजीयन), कम्पोजिट बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट के सामने, बिलासपुर (छ.ग.)

एवं

<u>रिट याचिका संख्या 4289/2004</u>

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता:- इंतजामिया कमेटी, जामा मस्जिद (वक्फ) बिल्हा द्वारा वहीदुल्ला खान (एक सदस्य), उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता स्वर्गीय अहमदुल्ला खान, निवासी तालापारा, बिलासपुर, तह. एवं जिला. बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरदाता- 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)

2. कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)

3. उप-पंजीयक (पंजीयन) बिलासपुर (छ.ग.)

4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी प्रतिनिधी, छत्तीसगढ़, हायर सेकेंडरी स्कूल चाटापारा, बिलासपुर (छ.ग.)

5. जनाब रफीक अहमद, आयु लगभग 75 वर्ष पिता लेट जनाब मसूद खान, फ्लै न. 113, उत्कर्ष निर्माण, मंगलवारा बाजार, सदर नागपुर (महाराष्ट्र)

उपस्थिति:-

श्री सैफुद्दीन राजस, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, रिट याचिका संख्या 3443/2003 और रिट याचिका संख्या 4289/2004 में।

श्री अरुण साव, सभी रिट याचिकाओं में राज्य एवं अन्य राज्य प्रतिवादियों के लिए शासकीय अधिवक्ता ।

श्री यू.एन. अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री दिलीप दुबे, अधिवक्ता ,राहुल कुमार बाजपेयी के लिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

रिट याचिका संख्या 3443/2003, 3081/2003 और 4289/2004

श्री गौतम भादुड़ी एवं कु. सोफिया खान, रिट याचिका संख्या 3081/2003 में याचिकाकर्ता की ओर से और रिट याचिका संख्या 4289/2004 में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में

श्री के.ए. अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती मीरा अंसारी, रफीक अहमद खान की ओर से श्री बी.एल.डेम्ब्रा, हस्तक्षेपकर्ता-वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ।

आदेश

(30.07.2007)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

(1) चूँकि इन तीनों याचिकाओं में विचारणीय प्रश्न समान हैं, अतः इनका निपटारा इस समान आदेश द्वारा किया जा रहा है। इन मामलों के तथ्य इस प्रकार हैं:

अब्दुल हलीम खान द्वारा दिनांक 23.9.2003 को रिट याचिका संख्या 3081/2003 दायर की गई थी, जिसमें यह अनुतोष मांगा गया था कि उत्तरवादी राज्य को अब्दुल मन्नान खान और कुमारी राना परवीन (उत्तरवादी संख्या 2 और 3) द्वारा उत्तरवादी संख्या 4, राहुल बाजपेयी के पक्ष में दिनांक 13.12.2002 को निष्पादित विक्रय-पत्र द्वारा वक्फ संपत्ति के अवैध हस्तांतरण की उच्च-स्तरीय जाँच करने का आदेश दिया जाए। एक अंतरिम उपाय के रूप में, उन्होंने प्रार्थना की कि उत्तरवादी संख्या 2, 3 और 4 को बल प्रयोग या किसी अन्य माध्यम से संबंधित वक्फ के लाभार्थी को बेदखल करने से रोका जाए और उन्हें उक्त संपत्ति पर मौजूद ऊपरी ढाँचे को गिराने से भी रोका जाए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बिलासपुर टाउनशिप (जिसे आगे वाद ग्रस्त संपत्ति कहा जाएगा) के नजूल क्षेत्र में स्थित शीट संख्या 14, प्लॉट संख्या 19, क्षेत्रफल 0.245 हेक्टेयर (26392 वर्ग फुट) वाला भूखंड वक्फ संपत्ति है। उन्होंने तर्क दिया कि हाजी मोहम्मद अकबर खान और हाजी मोहम्मद मसूद खान ने दिनांक 20.4.1937 को एक वाकी-अल-औलादनामा निष्पादित किया था, जिसमें इस संपत्ति को वक्फ विलेख के पैरा 11 के क्रम संख्या 1 और 2 में वर्णित वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था और इसका प्रबंधन इसके मुतवल्ली रफीक अहमद खान (उत्तरवादी संख्या 5) द्वारा किया जा रहा था। याचिकाकर्ता के अनुसार, वक्फ वंशजों के लाभ के लिए था और वक्फ संपत्ति की

आय का 1/3 हिस्सा गुजरेदारों (लाभार्थियों) के बीच वितरित किया जाना था, लेकिन उक्त संपत्ति का उपरोक्त हिस्सा उक्त विक्रेताओं द्वारा मुतवल्ली के साथ मिलीभगत करके उत्तरवादी संख्या 4 को बेच दिया गया था, इसलिए यह अवैध था, जिसके लिए उपरोक्त जांच और अंतरिम संरक्षण की आवश्यकता है, जैसा कि प्रार्थना की गई है।

(2) इंतज़मिया कमेटी, जामा मस्जिद (वक्फ) बिल्हा द्वारा दिनांक 17.10.2003 और दिनांक 24.09.2004 को रिट याचिकाएँ संख्या 3443/2003 और 4289/2004 दायर की गईं। पहली याचिका क्रेता को मौके पर कोई भी निर्माण कार्य या निर्माण कार्य करने से रोकने के लिए और राज्य उत्तरवादीगण को मामले में हस्तक्षेप करने और वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 28, 52, 54, 55, 85 और 88 के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने तथा वक्फ संपत्ति की सुरक्षा में याचिकाकर्ता को उचित सहायता प्रदान करने का निर्देश देने के लिए परमादेश जारी करने हेतु दायर की गई थी। बाद में याचिका राज्य के उत्तरवादीगण को नजूल अभिलेख और पटवारी अभिलेख में बदलाव करने और संपत्ति के संबंध में याचिकाकर्ता समिति का नाम दर्ज करने के निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई थी, जिसे वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया गया है और अंतिम राजपत्र में क्रमांक 106 पृष्ठ 2014 से 2017 में अधिसूचित किया गया है, जिसमें उत्तरवादी संख्या 2 (कलेक्टर) को वक्फ संपत्ति की अवैध बिक्री की जांच करने और इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही निजी उत्तरवादीगण को वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी लेनदेन में शामिल नहीं होने और उक्त संपत्ति का सौदा नहीं करने के लिए पाबंद किया गया है। इन दोनों याचिकाओं में तर्क और आधार लगभग समान हैं। याचिकाकर्ता समिति के अनुसार, उन्हें

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एमपी वक्फ बोर्ड, भोपाल द्वारा गठित किया गया है और उपरोक्त वक्फ संस्था को समर्पित संपत्ति के रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल करनी है। उन्होंने तर्क दिया कि वादग्रस्त संपत्ति एक वक्फ संपत्ति थी क्योंकि इसे वक्फ बोर्ड एमपी, भोपाल द्वारा वर्ष 1967 में वक्फ-पंजी (पंजी-औकाफ) में कई अन्य संपत्तियों के साथ वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया गया था और पंजीकरण का तथ्य भी एमपी राजपत्र भाग ।।। (1) दिनांक 25.8.1989 में पेज संख्या 2014 से 2017 के माध्यम से राजपत्र अधिसूचना द्वारा वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि यह संपत्ति एक वक्फ संपत्ति थी, इसलिए संपत्ति का अन्य संक्रमण संभव नहीं था। हालांकि, विक्रेता, जो वक्फ के निष्पादकों के दो उत्तराधिकारी हैं, ने कानून का ध्यान नहीं रखा और क्रेता ने अनुचित लाभ उठाते हुए कि नामातंरण प्रभावित नहीं हुआ था, वादग्रस्त संपत्ति खरीद ली और उसे तोडने की कार्रवाई और इसके हिस्से पर निर्माण के कार्य शुरू कर दिया इन स्थितियों में ये याचिकाएं उपरोक्त अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) राज्य और उसके प्राधिकारियों ने यह रुख अपनाया है कि उनके द्वारा बनाए गए राजस्व अभिलेखों, अर्थात नजूल रखरखाव खसरा, में वादग्रस्त संपत्ति विक्रेताओं के नाम पर थी और यह वक्फ बोर्ड से संबंधित नहीं थी, इसलिए वे ऐसी संपत्ति के किसी भी लेन-देन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उपरोक्त के अलावा, उन्होंने रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में भी प्रारंभिक आपत्ति ली है क्योंकि लगभग समान रिट याचिका संख्या 1716/2003 का निपटारा दिनांक 27.6.2003 के आदेश के तहत किया गया था और इस मामले में तथ्यों का विवादित प्रश्न भी शामिल है, जिसके लिए मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्य और उसके मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है।

(4) क्रेता ने यह तर्क दिया कि यह संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है क्योंकि दिनांक 20.4.1937 के कथित वक्फ-विलेख पर कभी कार्रवाई नहीं की गई और ऐसा प्रतीत होता है कि यह 56 वर्षों से निष्पादनकर्ताओं और उनके वंशजों द्वारा कार्यान्वयन के अभाव में केवल कागज का एक टुकड़ा है। अकबर खान और उनके वंशजों के नाम उक्त भूमि के पट्टेदार के रूप में राजस्व अभिलेखों में जारी हैं, जिन्होंने समय-समय पर उक्त संपत्ति का हिस्सा विभिन्न व्यक्तियों को बेचा है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा इसे कभी चुनौती नहीं दी गई। रिट याचिका संख्या 3081/2003 में उत्तर के पैरा-5 के अनुसार, उन्होंने विशेष रूप से तर्क दिया कि उक्त हाजी मोहम्मद अकबर खान और हाजी मोहम्मद मसूद खान ने कभी भी कोई संपत्ति नहीं वसीयत की है जैसा कि आरोप लगाया गया है। उन्होंने दिनांक 20.4.1937 या किसी अन्य तिथि को वक्फ-अल-औलादनामा के निष्पादन से भी इनकार किया। उनके तर्कों के अनुसार, हाजी मोहम्मद अकबर खान, हाजी मोहम्मद मसूद खान और उनके उत्तराधिकारियों उत्तरवादी संख्या 5 और 6 ने उक्त संपत्ति को पूरी तरह से अपनी संपत्ति माना है, न कि वक्फ संपत्ति। उक्त संपत्ति का प्रबंधन उन्होंने अपनी निजी संपत्ति के रूप में किया था और जैसा कि आरोप लगाया गया है, उन्होंने कभी भी मुतवल्ली के रूप में इसका प्रबंधन नहीं किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस संपत्ति के कुछ हिस्से निम्नलिखित कई व्यक्तियों को बेचे गए:

1. श्री महेंद्र प्रधान दिनांक 12.2.1980 के विक्रय- विलेख, अनुलग्नक आर -4/6;

2. श्रीमती बलजीत कौर, विक्रय विलेख दिनांक 29.6.1981 के अनुसार (अनुलग्नक आर-4/7)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. श्री मोहम्मद मजहुल हक बिक्री-विलेख दिनांक 10.5.1999, अनुलग्नक,आर-4/8

(4) श्री अब्दुल करीम खान, बिक्री-विलेख दिनांक 8.6.1999, अनुलग्नक आर-4/9

अनेक तथ्यात्मक पहलुओं के आधार पर, इस उत्तरवादी ने संपत्ति की प्रकृति को वक्फ संपत्ति होने से इनकार किया है और उसके तर्क के अनुसार, संपत्ति एक निजी संपत्ति थी और इसका विक्रय पूर्ण रूप से वैध और सही थी, जिसके निष्पादन के बाद कब्जा दिया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) रफीक अहमद खान और समीर अहमद खान (उत्तरवादी क्रमांक 5 और 6, डब्ल्यू.पी. क्रमांक 3081/2003) ने भी इस रिट याचिका में अपना रिटर्न दाखिल किया है। उनकी प्रारंभिक आपत्ति यह है कि पहले की रिट याचिका क्रमांक 1716/2003 के खारिज होने के बाद, यह बाद की रिट याचिका पोषणीय नहीं होगी। उनके अनुसार, यह प्रश्न कि क्या एक संपत्ति, जिसे वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था, एक वक्फ संपत्ति थी या नहीं, केवल एक सिविल मुकदमे के माध्यम से तय किया जा सकता है और उत्तरवादी क्रमांक 5 ने पहले ही एम.पी. वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष केस क्रमांक 1381/96 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने विशेष रूप से दलील दी कि इससे पहले एक आवेदन क्रमांक 478 तत्कालीन सचिव, जिला वक्फ समिति, बिलासपुर श्री मोहम्मद शरीफ द्वारा 28.1.1983 को एमपी के समक्ष दायर किया गया था। वक्फ बोर्ड ने उत्तरवादी क्रमांक 5 की अचल संपत्तियों को कथित वक्फ डीड्स 20.4.1927 और 21.4.37 के अनुसार वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की बैठक क्रमांक 33 दिनांक 4/5-12-83 में विचार किया गया और

बोर्ड ने निर्णय लिया कि चूंकि डीड्स के निष्पादन का आशय और उद्देश्य केवल संपत्तियों को सुरक्षित करना था और मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पवित्र, धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए इसका कोई समर्पण नहीं था, इसलिए अचल संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दिनांक 31.12.83 का आदेश दाखिल किया है जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के उपरोक्त निर्णय को अनुलग्न R/5-6/2 के रूप में संबंधित अधिकारियों और व्यक्तियों को सूचित किया गया था और उपरोक्त के मद्देनजर, इन प्रतिवादियों के अनुसार, 25.8.1989 की अधिसूचना संदिग्ध हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने संपत्ति की प्रकृति पर भी विवाद किया है कि वह वक्फ संपत्ति है या वक्फ-अल-औलादनामा या पूर्ण वक्फ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(6) छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। उनका तर्क है कि विचाराधीन संपत्ति,वक्फ डीड दिनांक 20.4.1937 के तहत, जो एक वक्फ-अलल-औलादनामा है, इसलिए इसे सार्वजनिक वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता है और इंतजामिया कमेटी, जामा मस्जिद, बिल्हा इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं जता सकती है। इसने तर्क दिया है कि इंतजामिया कमेटी ने जो भी अधिकार अर्जित किया है, वह वक्फ डीड दिनांक 19.8.1940 द्वारा अर्जित किया गया है, जिसमें जामा मस्जिद, ईदगाह और कुछ अन्य संपत्तियां शामिल थीं। जहां तक प्रश्नगत बिक्री का संबंध है, बोर्ड ने विशेष रूप से दलील दी है कि चूंकि यह वक्फ-अलल-औलादनामा की संपत्ति थी, जो वाकिफ के वंशजों के लाभ, रखरखाव और कल्याण के लिए है, इसे तीसरे पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, ऐसी संपत्ति का लेन-देन अवैध और शून्य था। वक्फ अधिनियम की कई धाराओं का हवाला देते हुए, बोर्ड ने तर्क दिया है कि चूँकि संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, इसलिए पक्षकार वक्फ अधिनियम के तहत उचित मंच और उचित

प्राधिकारी के पास जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि बोर्ड अब्दुल हलीम खान की याचिका का समर्थन करता है, लेकिन उसकी पोषणीयता के लिए, और इंतज़मिया कमेटी द्वारा दायर याचिका का विरोध करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका संख्या 3443/2003, 3081/2003 और 4289/2004

(7) बहस के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील अब्दुल हलीम खान ने तर्क दिया कि मुस्लिम कानून के अनुसार, वक्फ-अल-औलाद वैध और सुविख्यात है। वाकिफ के परिवार के सदस्यों और उनके वंशजों के भरण-पोषण के लिए वक्फ का निर्माण भी एक धर्मार्थ उद्देश्य है। उनका तर्क था कि जैसे ही संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है, वाकिफ का अधिकार समाप्त हो जाता है और स्वामित्व ईश्वर को हस्तांतरित हो जाता है, इसलिए वाकिफ के निर्माण के बाद, न तो वाकिफ और न ही उसके वंशजों को संपत्ति को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार होगा। उन्होंने एआईआर 1981 एससी 798 (राधाकांत देब और अन्य -बनाम- हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा): एआईआर 1978 एससी 1362 (बाइबल सिद्दीकी फातिमा-बनाम-सैयद मोहम्मद महमूद हसन) और एआईआर 1971 एससी 1691 (अहमद जी.एच. आरिफ़-बनाम- धन कर आयुक्त कलकत्ता,) का उल्लेख किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) इसके विपरीत, इंतज़मिया समिति के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि वाकिफ रजिस्टर में एक प्रविष्टि की गई थी और सरकार द्वारा एक अधिसूचना भी प्रकाशित की गई थी, इसलिए संपत्ति पूर्ण रूप से वाकिफ संपत्ति बन गई और वाकिफ परिवार के वंशजों का उस पर कोई अधिकार या अधिकार नहीं होगा।

<u>रिट याचिका संख्या 3443/2003, 3081/2003 और 4289/2004</u>

उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार ऐसी घोषणा, प्रविष्टि और प्रकाशन के बाद उस संपत्ति पर कोई भी हित समाप्त हो जाता है, क्योंकि सब कुछ अंतिम हो जाता है। उन्होंने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया।

(9) क्रेता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट याचिका में तथ्यों के कई विवादित प्रश्न उठाए गए हैं, जिनके लिए साक्ष्य और उसका उचित मूल्यांकन की आवश्यकता है, इसलिए यह न्यायालय उन पर निर्णय नहीं दे पाएगा। सबसे पहले, उत्तरवादी और विक्रेता दोनों ने ही वक्फ विलेख की वैधता और विषय-वस्तु को अस्वीकार किया है और उनका तर्क है कि वादग्रस्त संपत्ति को वक्फ या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कभी भी वक्फ संपत्ति नहीं माना गया, इसलिए निजी अधिकारों की मान्यता और घोषणा के लिए रिट न्यायालय को ऐसे प्रश्नों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। उन्होंने उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारती इंडस्ट्रीज एवं अन्य, एआईआर 2006 एससी 198 मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) रफीक अहमद खान तथा हस्तक्षेपकर्ता-वक्फ बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने लगभग समान बिन्दुओं पर तर्क दिया, जो उन्होंने अपने प्रति-शपथपत्र तथा हस्तक्षेप आवेदन में उठाए हैं।

(11) ऐसा प्रतीत होता है कि क्रेता द्वारा उठाया गया विवाद यह है कि क्या वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में वक्फ विलेख वाकिफ द्वारा निष्पादित किया गया था और उस पर कार्रवाई की गई थी?, और याचिकाकर्ताओं के दो समूहों के बीच आपसी विवाद यह है कि क्या यह वक्फ-अल-औलाद था या यह पूर्ण

वक्फ था, अर्थात वक्फ की प्रकृति के बारे में, हालांकि उन्होंने तर्क दिया है कि यह एक वक्फ संपत्ति थी? इसलिए, सवाल यह होगा कि क्या सबूतों और उनके मूल्यांकन के अभाव में ऐसे मामलों पर रिट याचिका में विचार किया जा सकता है?, क्या रिट न्यायालय ऐसी घोषणा करने और इस संबंध में निजी या सरकारी उत्तरवादीगण को सीधा आदेश जारी करने के लिए उपयुक्त मंच होगा?, और इसके अलावा, क्या याचिकाकर्ताओं के कानूनी चरित्र के अनुसार, इस न्यायालय द्वारा वास्तव में ऐसा कार्य आवश्यक है या रिट याचिकाओं में दलीलों के अनुसार वक्फ के अस्तित्व के संबंध में स्वीकृत स्थिति के आधार पर, याचिकाकर्ताओं का मंच कहीं और है?

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) अगर हम वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों पर गौर करें तो धारा 6, 7, 51 और 52 वे धाराएं हैं, जो वक्फ, तथा उसे प्राप्त करने से संबंधित विवादों से वक्फ संपत्ति के अन्य संक्रमण से संबधित विवादो का निर्धारण करने में अधिकरण की शक्ति के बारे में बताता है।

धारा 6, 7, 51 और 52 निम्नानुसार उद्धृत हैं:

6. वक्फों के संबंध में विवाद.-(1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि वक्फों की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट कोई विशिष्ट संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं या ऐसी सूची में निर्दिष्ट कोई वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ, तो बोर्ड या वक्फ का मुतवल्ली या उसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रश्न के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण में वाद संस्थित कर सकेगा और ऐसे मामले के संबंध में न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा:

परन्तु यह कि वक्फ की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा कोई वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा और धारा 7 के प्रयोजनों के लिए, "उसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति" पद के अंतर्गत, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात प्रकाशित वक्फों की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट किसी संपत्ति के संबंध में, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो यद्यपि संबंधित वक्फ में हितबद्ध नहीं है, किन्तु ऐसी संपत्ति में हितबद्ध है और जिसे धारा 4 के अधीन सुसंगत जांच के दौरान उस निमित्त तामील की गई सूचना द्वारा अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी वक्फ के संबंध में कोई कार्यवाही केवल इस कारण नहीं रोकी जाएगी कि ऐसा कोई वाद लंबित है या ऐसे वाद से उत्पन्न कोई अपील या अन्य कार्यवाही लंबित है।

(3) सर्वेक्षण आयुक्त को उपधारा (1) के अधीन किसी वाद में पक्षकार नहीं बनाया जाएगा और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(4) वक्फ की सूची, जब तक कि उसे उपधारा (1) के अधीन न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसरण में संशोधित न किया जाए, अंतिम और निर्णायक होगी।

(5) किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न के संबंध में उस राज्य के किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित या प्रारंभ नहीं की जाएगी।

7. वक्फ से संबंधित विवादों का निर्धारण करने की न्यायाधिकरण की शक्ति.-(1) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई विशिष्ट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, या ऐसी सूची में निर्दिष्ट वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ, बोर्ड या वक्फ का मुतवल्ली, या उसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति, प्रश्न के निर्णय के लिए ऐसी संपत्ति के संबंध में अधिकारिता रखने वाले न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकता है और उस पर न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा:

परंतुक -

(क) राज्य के किसी भाग से संबंधित और इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात प्रकाशित वक्फों की सूची के मामले में, वक्फों की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात ऐसा कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा; और

(ख) राज्य के किसी भाग से संबंधित और इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय प्रकाशित वक्फ की सूची के मामले में, ऐसा आवेदन न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर ग्रहण किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि जहां ऐसा कोई प्रश्न ऐसे प्रारम्भ से पूर्व संस्थित किसी वाद में सिविल न्यायालय द्वारा सुना और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है, वहां न्यायाधिकरण ऐसे प्रश्न को पुनः विचार में नही लेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) उस स्थिति को छोड़कर जहां न्यायाधिकरण को उपधारा (5) के उपबंधों के कारण कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है, किसी वक्फ के संबंध में इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा केवल किसी वाद, आवेदन या अपील या ऐसे किसी वाद, आवेदन, अपील या अन्य कार्यवाही से उत्पन्न अन्य कार्यवाही के लंबित रहने के कारण नहीं रोकी जाएगी।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया जाएगा।

(4) वक्फ की सूची और जहां ऐसी कोई सूची उपधारा (1) के अधीन न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसरण में संशोधित की जाती है, वहां इस प्रकार संशोधित सूची अंतिम होगी।

(5) न्यायाधिकरण को किसी ऐसे मामले का अवधारण करने का अधिकार नहीं होगा जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सिविल न्यायालय में संस्थित या प्रारंभ किए गए किसी वाद या कार्यवाही का विषय है अथवा जो ऐसे किसी वाद या कार्यवाही में ऐसे प्रारंभ से पूर्व पारित डिक्री के विरुद्ध किसी अपील का अथवा, यथास्थिति, ऐसे वाद, कार्यवाही या अपील से उत्पन्न पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए किसी आवेदन का विषय है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

51. बोर्ड की मंजूरी के बिना वक्फ संपत्ति का हस्तांतरण शून्य होगा।-(1) वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी, किसी अचल संपत्ति का, जो वक्फ संपत्ति है, कोई दान, विक्रय या विनिमय बंधक तब तक शून्य होगा जब तक कि ऐसा दान, विक्रय, विनिमय या बंधक बोर्ड की पूर्व मंजूरी से न किया गया हो: परंतु किसी मस्जिद, दरगाह या खानगाह को किसी तत्समय प्रवृत्त कानून के अनुसार ही दान में दिया जाएगा, बेचा जाएगा, विनिमय किया जाएगा या बंधक रखा जाएगा।

(2) बोर्ड, उपधारा (1) में निर्दिष्ट संव्यवहार से संबंधित ब्यौरे राजपत्र में प्रकाशित करने के पश्चात्, उसके संबंध में कोई आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के पश्चात् तथा संबंधित मुतवल्ली या वक्फ में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, ऐसे संव्यवहार को मंजूरी दे सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसा संव्यवहार -

(i) वक्फ के लिए आवश्यक या लाभकारी;

(ii) वक्फ के उद्देश्यों के अनुरूप;

(iii) इसका प्रतिफल उचित एवं पर्याप्त है:

बशर्ते कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत किसी संपत्ति की बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाएगी और निर्धारित समय के भीतर बोर्ड द्वारा पुष्टि के अधीन होगी: बशर्ते कि अधिकरण, पीड़ित मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति के आवेदन पर, लिखित रूप में इसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से, सार्वजनिक नीलामी के अलावा अन्य तरीके से ऐसी बिक्री की अनुमति दे सकता है, यदि यह राय है कि वक्फ के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) किसी संपत्ति की बिक्री या विनिमय बंधक से प्राप्त राशि का उपयोग या निवेश बोर्ड के अनुमोदन के अधीन मुतवल्ली द्वारा किया जाएगा, और जहां किसी ऐसी संपत्ति के बंधक द्वारा कोई राशि जुटाई गई है, वहां मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति बंधक-ऋण का प्रतिसंदाय करेगा और बंधक से बंधक-ऋण का उन्मोचन ऐसे उचित समय के भीतर प्राप्त करेगा, जैसा कि बोर्ड निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा दिया गया प्रत्येक अनुमोदन मुतवल्ली को संसूचित किया जाएगा और उसे इस प्रकार प्रकाशित भी किया जाएगा,

(5) मुतवल्ली या वक्फ में हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो निर्णय से व्यथित है

उपधारा (3) के तहत दी गई, नब्बे दिनों के भीतर

ऐसे निर्णय के विरुद्ध अधिकरण में अपील कर सकेगा और तत्पश्चात् अधिकरण अपीलार्थी और बोर्ड को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसे निर्णय की पुष्टि कर सकेगा, उसे संशोधित कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

52. धारा 51 के उल्लंघन में अंतरित वक्फ संपत्ति की वसूली.-(1) यदि बोर्ड, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, जांच करने के पश्चात्, इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि धारा 36 के अधीन रखे गए वक्फ रजिस्टर में इस रूप में दर्ज वक्फ की कोई स्थावर संपत्ति, धारा 51 के उपबंधों के उल्लंघन में बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना अंतरित कर दी गई है, तो वह उस कलेक्टर को, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह संपत्ति स्थित है, संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने और उसे सौंपने के लिए अध्यपेक्षा भेज सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, कलेक्टर आदेश पारित करेगा जिसमें संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संपत्ति बोर्ड को सौंपने का निर्देश दिया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की तामील निम्नलिखित रूप में की जाएगी-

(क) आदेश देकर या प्रस्तुत करके, या उसे डाक द्वारा उस व्यक्ति को भेजकर जिसके लिए वह आशयित है; या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिल सके तो उसके निवास या कारोबार के अंतिम ज्ञात स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर आदेश चिपकाकर, या उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या सेवक को आदेश देकर या उसे प्रस्तुत करके, या उसे उस संपत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाकर जिससे वह संबंधित है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परन्तु जहां वह व्यक्ति, जिस पर आदेश की तामील की जानी है, अवयस्क है, वहां उसके संरक्षक या उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या सेवक पर की गई तामील अवयस्क पर की गई तामील मानी जाएगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उस न्यायाधिकरण में अपील कर सकेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है और ऐसी अपील पर न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का समय अपील किए बिना या अपील, यदि कोई हो, समाप्त हो गया है,

उस समय के भीतर किया गया कोई भी दावा खारिज कर दिया गया है, तो कलेक्टर उस संपत्ति पर, जिसके संबंध में आदेश दिया गया है, ऐसे बल का प्रयोग करते हुए, यदि कोई हो, जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, कब्जा प्राप्त करेगा और उसे बोर्ड को सौंप देगा।

(6) इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय कलेक्टर ऐसे नियमों द्वारा निर्देशित होगा, जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं।

(13) इन धाराओं को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि यदि वक्फ के संबंध में कोई विवाद, जैसा कि धारा 6 में उल्लिखित है, उद्भूत होता है तो इसके लिए मंच है, जिसके बारे में धारा 7 कुछ सीमाओं के साथ विनिर्देश प्रदान करती है और विधानमंडल ने इस संबंध में पक्षों के अधिकारों को सुरक्षित किया है। और स्वीकृत स्थिति में, अर्थात जहां संपत्ति को वक्फ संपत्ति माना जाता है, अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, इसके हस्तांतरण के संबंध में और बाधाएं निर्धारित की गई हैं, जो स्पष्ट रूप से बोर्ड की मंजूरी के बिना वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य घोषित करती हैं। धारा के प्रावधान वक्फ अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप हैं कि अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण को और अधिक कठिन बनाना है और इसलिए, धारा 51 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि वक्फ विलेख में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी अचल वक्फ संपत्ति का कोई भी उपहार, बिक्री, विनिमय या बंधक तब तक शून्य होगा जब तक कि वक्फ बोर्ड की पूर्व अनुमति के साथ प्रभावी न हो। इस संबध में अन्य प्रावधान भी है कि धारा 52 में यह प्रावधान है कि धारा 51 के प्रावधानों के उल्लंघन में संपत्ति के किसी अंतरण के मामले में, वक्फ बोर्ड को इस धारा के प्रावधानों के तहत ऐसी संपत्ति को वापस लेने और संबंधित कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कब्जा प्राप्त करने और उसे सौंपने के लिए एक मांग पत्र भेजने का अधिकार है और कलेक्टर को धारा 52 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन करने के बाद इस तरह के आवेदन पर कार्रवाई करनी है। धारा 52 की उपधारा (4) के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि उपधारा (2) के तहत कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस न्यायाधिकरण में जिसके अधिकार क्षेत्र में संपति स्थित है, में अपील दायर कर सकता है और ऐसी अपील पर न्यायाधिकरण के फैसले अंतिम होंगे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि संपत्ति वक्फ संपत्ति है, और बोर्ड की मंजूरी के बिना संपत्ति का अन्य संक्रमण किया गया है, तो वह स्वयं धारा 51 के तहत शून्य होगा और कब्जा वापस लेना होगा जिसे धारा 52 के तहत उपलब्ध उपचार का उपयोग कर वापस प्राप्त किया जाये।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बोर्ड के लिए किसी विशेष प्रकार के वक्फ के मामले में कार्रवाई करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि प्रावधान इस मुद्दे पर मौन हैं और बोर्ड केवल तभी कार्रवाई करेगा, जब संपत्ति एक वक्फ संपत्ति हो, चाहे वह पूर्ण वक्फ हो या वक्फ-अल-औलाद।

(14) वर्तमान मामले में, बोर्ड ने स्वयं यह दलील दी है कि संपत्ति वक्फ संपत्ति थी, इसलिए, बोर्ड पर यह दायित्व था कि वह ऐसी संपत्ति की वसूली के लिए धारा 52 के तहत आवश्यक कदम उठाए और याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसी अनुतोष के लिए सीधे याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(15) जहां तक घोषणाओं से संबंधित तर्कों का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार एक असाधारण उपचार है और इसका उपयोग देश के कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों में तय किया गया है, रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल पक्षों के निजी अधिकारों की घोषणा करने के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में राज्य के कार्यों की जांच करने के लिए किया जाना है। इसलिए, इस आशय की घोषणा कि क्या कोई वक्फ था और अगर यह वक्फ था, तो यह वक्फ-अल-औलाद या पूर्ण वक्फ था, अर्थात कि वक्फ की प्रकृति क्या थी और निजी याचिकाकर्ता और उत्तरवादीगण के अधिकार और हित क्या थे और ऐसे अधिकारों के बारे में घोषणा रिट न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। यह इसलिए और भी अधिक है क्योंकि इसमें तथ्यों का विवादित प्रश्न होने के कारण साक्ष्य की आवश्यकता होगी और ऐसी स्थिति में, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है। यही बात सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड(पूर्वोक्त) के मामले में कही थी और तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, रिट न्यायालय ऐसी घोषणाएं करने और निजी या सरकारी उत्तरवादीगण के खिलाफ आदेश जारी करने के लिए कार्रवाई करने हेतु उपयुक्त मंच नहीं होगा।

(16) अब प्रश्न यह है कि क्या इन मामलों में याचिकाकर्ताओं की तर्क के अनुसार मांगी गई अनुतोष के लिए वास्तव में ऐसी प्रक्रिया आवश्यक है? यह स्वीकृत है कि तीनों रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं और वक्फ बोर्ड, दोनों के अनुसार वादग्रस्त संपत्ति वक्फ संपत्ति है। दोनों में एकमात्र अंतर यह है कि याचिकाकर्ता अब्दुल हलीम खान प्रतिवाद करता है, और बोर्ड भी इसका समर्थन करता है, कि यह वक्फ-अल-औलाद थी, जबकि इंतज़मिया समिति (अन्य दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता) का तर्क है कि यह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वक्फ-आम (पूर्ण वक्फ) थी क्योंकि संपत्ति पंजीकृत की गई है और इस आशय का प्रकाशन तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के आधिकारिक राजपत्र में भी किया गया है। इसलिए, वक्फ बोर्ड द्वारा समर्थित सभी याचिकाकर्ताओं की तर्कों के अनुसार, जिसका समर्थन वक्फ बोर्ड ने किया है, वाद ग्रस्त संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है और वे उस संपत्ति के मुतवल्ली होने का दावा करते हैं और इस आधार पर, वे अनुतोष का दावा कर रहे हैं, जहां तक सरकारी उत्तरवादीगण का संबंध है। यदि संपत्ति याचिकाकर्ताओं के अनुसार एक वक्फ संपत्ति थी, तो निश्चित रूप से, उस संपत्ति का अन्य संक्रमण वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 51 के तहत शून्य होगा और ऐसी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपचाार उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत उपलब्ध है। याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि धारा 52 के तहत कार्यवाही कानून के तहत निर्धारित तरीके से की गई थी, बल्कि वे इस संबंध में परमादेश जारी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। रिट याचिका संख्या 3081/2003 में मुख्य अनुतोष उच्च स्तरीय जांच शुरू करने और अंतरिम रूप से संपत्ति की सुरक्षा के लिए है, जबकि दो अन्य रिट याचिकाओं में अनुतोष निजी उत्तरवादीगण को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की प्रकृति की प्रतीत होती है और राज्य के उत्तरवादीगण को कानून के अनुसार कार्य करने का निर्देश देती है जिसमें उनके नाम पर नामांतरण करना शामिल है। उनके अपने प्रदर्शन के आधार पर, याचिकाकर्ताओं के पास वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के तहत और स्थानीय कानूनों के तहत भी उपचार उपलब्ध है और इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिकाओं को उनके द्वारा दावा किये गये अनुतोष के लिए स्वीकार नहीं की जा सकती है।

(17) इसके अलावा, इससे पहले, याचिकाकर्ता अब्दुल हलीम खान ने ऊपर उल्लिखित रिट याचिका संख्या 1716/2003 के तहत एक और याचिका दायर की थी और कथित वक्फ-अल-औलाद

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दिनांक 20 अप्रैल, 1937 के आधार पर नजूल अभिलेखों में नामांतरण के लिए प्रार्थना की थी, जिसमें संपत्ति की प्रकृति के संबंध में लगभग समान तर्क दिया गया था। इस याचिका पर इस न्यायालय की एकल पीठ ने सुनवाई की और जैसा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तब कहा था, नजूल अधिकारी के समक्ष नामांतरण की कार्यवाही लंबित है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की और याचिका खारिज कर दी:

> "भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है और यह असाधारण अधिकार क्षेत्र है जिसमें न्यायालय को जटिल तथ्यों पर विचार करने और मामले की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।
>
> जब कार्यवाही सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हो, तो न्यायालय को उन प्राधिकारियों के मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।
>
> मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि यह याचिका पूरी तरह से गलत है और इसे प्रारंभिक स्तर पर खारिज किया जाना चाहिए तथा इसे ग्राहयता स्तर पर ही खारिज किया जाता है।"

(18) पूर्वोक्त कारणों से, और पूर्व रिट याचिका के खारिज होने के दृष्टिगत , ये याचिकाएँ भी खारिज की जाती हैं। हालाँकि, पक्षकारों को उचित मंच, जो भी उनके लिए उपलब्ध हो, के समक्ष कानून का सहारा लेने की स्वतंत्रता होगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(19) वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .Advocate Prakash Singh Rajput